राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 864वी बैठक दिनांक 20.01.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 864वी बैठक दिनांक 20.01.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A.	**शासकीय परियोजनाओं में पर्यावरण अनुमति से संबंधित प्रकरणों को SEIAA एवं SEAC द्वारा प्राथमिकता पर निराकृत किए जाने हेतु निर्णय।**					
B.	**SEAC से अनुशंसित शासकीय (गैर खनन) परियोजनाऐं**					
1.	P2/960/2024	1(c)	छिन्दवाड़ा	सक्कर पेंच लिंक कम्बाइन्ड प्रोजेक्ट	For ToR	स्पष्टीकरण / प्रस्तुतीकरण
2.	P2/718/2024	8(b)	उज्जैन	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
3.	P2/717/2024	8(b)	उज्जैन	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
C.	**MoEF&CC, GoI द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के परिपालन में DEIAA पर्यावरण स्वीकृति के पुनः परीक्षण हेतु निर्धारित समय–सीमा में SEIAA एवं SEAC द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाना।**					
D.	**माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पेटिशन क्रमांक 23216/2024 में प्राधिकरण के पंजीबद्व प्रकरण क्रं. 10464 एवं 10465 के संबंध में आदेशित कार्यवाही का परिपालन।**					
4.	10465/2023	1 (a)	रीवा	बॉक्साईट खदान	–	अनुपालन
5.	10464/2023	1 (a)	रीवा	बॉक्साईट खदान	–	अनुपालन
E.	**माननीय एनजीटी (सीजेड) द्वारा अपील क्रं. 09/2022 में आदेशित कार्यवाही के परिपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा प्राधिकरण के पंजीबद्व प्रकरण क्रंमाक 79 / 2008 में अनुशंसित कार्यवाही का निराकरण**					
6.	79/2008	1 (a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	संयुक्त समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही	अनुपालन

A. शासकीय परियोजनाओं में पर्यावरण अनुमति से संबंधित प्रकरणों को SEIAA एवं SEAC द्वारा प्राथमिकता पर निराकरण किये जाने हेतु –

प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय परियोजनाओं में पर्यावरण अनुमति से संबंधित प्रकरणों को SEIAA एवं SEAC द्वारा प्राथमिकता से निराकरण करने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 04.11.2008 के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे। तदानुसार

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सदस्य सचिव, SEAC को सूचित करते हुए प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग को भी प्रेषित की जाये।

B. SEAC से अनुशंसित शासकीय (गैर खनन) परियोजनाऐं –

1. **Case No. P2/960/24**: Prior Environment Clearance for Shakkar Pench Link Combined Project Phase I (Hard Dam) Tehsil - Amarwara District – Chhindwara(M.P.). CCA- 31, 839 ha., The submergence area under the dam is estimated as 1087 ha by Shri D S Thakur, Chief Engineer, Office of Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Bargi Hills, Jabalpur, Distt. - Jabalpur, (M.P.) 482001 [RIV/472148/2024] Cat. -1(c) ToR Project

   1. शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना चरण–1 (हर्द डैम) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा तहसील के सीसीए– 31,839 हेक्टेयर में कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रस्तावित है। बांध के तहत डूब क्षेत्र का अनुमान 10871 हेक्टेयर है।

   2. प्रस्तावित प्रकरण नदी घाटी परियोजना का है अत ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 20–04–2022 के अनुसार उक्त परियोजना का सीसीए 10000 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम बी के अंतर्गत श्रेणी 1 (सी) केटेगरी में "B-1" के अंतर्गत शामिल है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

   3. कार्यालय वन मण्डल अधिकारी नौरादेही, जिला सागर का पत्र क्र. 60 दिनांक 19.01.2023 के अनुसार निकटतम संरक्षित क्षेत्र अर्थात नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी 10 किमी की परिधि में स्थित नहीं है, इस प्रकार इस परियोजना के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग नरसिंहपुर के पत्र क्र. 41 दिनांक 06.01.2023 के अनुसार परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी 72.0 किलोमीटर है। परियोजना General condition से परे है।

   4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 762 वीं बैठक दिनांक 03.06.24 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है, किन्तु SEAC की 762वी बैठक के कार्यवाही विवरण में पृष्ठ क्रं. 95 में अंकित है कि *"During presentation, PP submitted that no forest land is involved in this project."* जबकि ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये फार्म के बिन्दु Indtrodutcion of Project are activity के सरल क्रं. 3.1.1 में 438 हेक्टेयर वन भूमि के समावेशित होने का उल्लेख है, इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं SEAC द्वारा की गई अनुशंसा में विरोधाभाष है। **अतः निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक आगामी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

2. **Case No P2/717/2024:**,Prior Environment Clearance for Townships/ Area Development Projects Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri&Lalpur, Ujjain (MP). Total area - 1249310.00 Sq.m (124.931 Ha.), out of which 1148830.00 Sq.m (114.883 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted landShri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-03/2022] (MP). . Cat: 8(b) Townships/ Area Development Projects. TOR Proposal No.SIA/MP/INFRA2/468333/2024

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 864वी बैठक दिनांक 20.01.2025 का कार्यवाही विवरण

1. उक्त प्रकरण उज्जैन विकास प्राधिकरण, द्वारा उज्जैन क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत ग्राम निमनवासा, धतरावदा, नागझिरी और लालपुर, उज्जैन (एमपी) में नगर विकास योजना (टीडीएस–03/2022)" को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 1249310–00 वर्गमीटर (124–931 हेक्टेयर) है, जिसमें से 1148830–00 वर्गमीटर (114–883 हेक्टेयर) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल पुनर्गठित भूमि (Reconstituted land) है।

2. चूँकि परियोजना का पुनर्गठित भूखंड क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक है, अतः ईआईए अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 1533 (ई) दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार यह परियोजना अनुसूची 8 (बी) की श्रेणी बी–1 "टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ" के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किया जाना है।

3. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 744 वीं दिनांक 29–04–2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर (ToR) जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 96 से 98 तक अंकित है।

4. प्रकरण को SEAC की 744 वीं बैठक दिनांक 29.04.24 में टॉर (ToR) हेतु अनुशंसित किया गया था, परन्तु SEIAA की 854th-B बैठक दिनांक 27.05.24 में चर्चा उपरांत प्रस्तावित स्थल पर निर्माण सम्बन्धित स्पष्टीकरण हेतु प्रकरण को SEAC प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. SEAC द्वारा 765 वीं बैठक दिनांक 07.06.24 में प्राधिकरण के निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"Ujjain Development Authority has not started any construction works/activities as per their scope- The constructed area visible as per google image is already existing Abadi/Settlement- No construction has been done by Ujjain development Authority; hence] there is no violation of the project"

उपरोक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को समिति द्वारा मान्य करते हुये चर्चा उपरांत पूर्व सेक की बैठक 744 वीं दिनांक 29–04–2024 द्वारा प्रकरण को टॉर जारी करने हेतु अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ टॉर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए प्रतिवेदन में वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन एवं अतिरिक्त उपचारित अपशिष्ठ जल के निष्पादन हेतु नगर निगम भोपाल से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति का अनिवार्यतः समावेश किया जाये।
2. ईआईए प्रतिवेदन में परियोजना स्थल का contour map संलग्न करे। साथ ही प्रस्तावित drainage का विवरण भी दें ।
3. प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल एवं प्रजाति सहित पेड़ों की संख्या का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
4. परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. वर्तमान की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
6. परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव का उल्लेख करें।
7. परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट में स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचय की संभावना और संचय की मात्रा के संबंध में गणना प्रस्तुत करे।
8. भूकंप, आकाशीय बिजली एवं अग्निषमन के खतरों को ध्यान में रखकर परियोजना के अंतर्गत क्या व्यवस्था की जा रही है का विवरण दें।
9. निर्माण के दौरान खुदाई से निकाली जाने वाली मिट्टी की मात्रा एवं उसके प्रबंधन की क्या योजना है ईआईए प्रतिवेदन में विस्तृत विवरण दें।
10. प्रस्तावित STP का विवरण एवं उनकी स्थापना कहां की जायेगी एवं STP के बाद निकलने वाले उपचारित पानी की गुणवत्ता ((BOD, TSS, Faecal Coliform, T&N, T&P, ऑयल ग्रीस की मात्रा एवं pH) क्या रहेगी और इस उपचारित पानी का क्या उपयोग किया जायेगा का विवरण ईआईए प्रतिवेदन में दें।
11. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
12. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास /निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि (वेटलैण्ड) के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना में सम्मिलित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों (नदी/नालों/तालाब/वन भूमि आदि) के संबंध में समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन के साथ ही महाकाल ट्रस्ट के आधिपत्य संबंधित भूमि एवं निजी भू–स्वामित्वों संबंधित दस्ताावेजों का वैधानिक रूप से संबंधित विभागों/कार्योलयों से अनापत्ति प्राप्त किया जाना परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जाये । उक्त संबंधी दस्तावेजों में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होने पर परियोजना प्रस्तावक की स्वंय की जिम्मेदारी होगी ।

3. **Case No P2/718/2024:**Prior Environment Clearance for Townships/ Area Development Projects at Nimanwasa&Kothimahal, Ujjain (MP). Total area - 1194430 Sq.m (119.443 Ha.), out of which 1152810 Sq.m (115.281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted landShriRakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-04/2022] (MP). . Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects.FoR-TOR

1. उक्त प्रकरण उज्जैन विकास प्राधिकरण, द्वारा उज्जैन क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत ग्राम निमनवासा और कोठीमहल उज्जैन (एमपी) मे नगर विकास योजना (टीडी,स–04/2022)" विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 1194430–वर्गमीटर (119–443 हेक्टेयर) है जिसमें से

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

1152810–00 वर्गमीटर (115–281 हेक्टेयर) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल पुनर्गठित भूमि (Reconstituted land) है।

2. चूँकि परियोजना का पुनर्गठित भूखंड क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक है, अतः ईआईए अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 1533 (ई) दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार यह परियोजना अनुसूची 8 (बी) की श्रेणी बी–1 "टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ" के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किया जाना है।

3. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 744 वीं दिनांक 29–04–2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 98 से 102 तक अंकित है।

4. प्रकरण को SEAC की 744 वीं बैठक दिनांक 29.04.24 टॉर (ToR) हेतु अनुशंसित किया गया था, परन्तु SEIAA की 854th-B बैठक दिनांक 27.05.24 में चर्चा उपरांत प्रस्तावित स्थल पर निर्माण सम्बन्धित स्पष्टीकरण हेतु प्रकरण को SEAC प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. SEAC द्वारा 765 वीं बैठक दिनांक 07.06.24 में प्राधिकरण के निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"<u>During presentation PP submitted following points w-r-t- above SEIAA points ;</u>

- Ujjain Development Authority has proposed an area development project named ÞTown Development Scheme [TDS&04/2022]" at Village: - Nimanwasa – Kothimahal, Ujjain (MP) at Ujjain, M-P-
- The total boundary area earmarked for TDS&04 in approved T&CP map no- क्रमांक NIL/नग्रानि/उविप्रा-TDS&4/2023 कैम्प–भोपाल Dated 05/09/2023 is 119-443 Ha- Out of the total area] area reconstituted for the town development scheme is 115-281 Ha- The remaining area is 2-562 Ha] which is sanctioned under Abadi Area/Settlement area & rest 1-6 Ha is under Govt land for nahar/nala marked and sanctioned in the approved T&CP plan submitted online-
- Ujjain Development Authority has applied for Environmental Clearance for 115-281 Ha area only] which is the reconstituted area- The Abadi area/ settlement area (which comes under Indira awas area & other constructed area) is not a part of our EC/ToR application-
- Ujjain Development Authority has not started any construction works/activities as per their scope- The constructed area visible as per google image is already eÛisting Abadi/Settlement- No construction has been done by Ujjain development Authority] hence] there is no violation of the project-
- The project will include the construction of infrastructure works like road networks (30m, 24m, 18m, 12m, 9m, and 3m pathway), water, sewerage & STP, Electric substations & open areas/green areas- There will be no construction done by the Ujjain Development Authority other than the scope mentioned above-

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- Separate Environment Clearance(s) will be obtained for concerned development of the plot owners if proposed development inside the scheme will fall under EIA notification 14-09-2006-

PP also submitted that a minor correction required in the Minutes of Meeting of 744th SEAC Meeting Dated 29/04/2024 as below;

Title of the project mentioned under MoM should be read as follows;

Case No P2/718/2024, Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS&04/2022] (MP). Prior Environment Clearance for Townships/Area Development Projects at Nimanwasa & Kothimahal] Ujjain (MP). Total area & 1194430 Sq-m (119-443 Ha.), out of which 1152810 Sq-m (115-281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land- Cat- 8(b) Townships/ Area Development Projects-FoR & TOR-

This is the case of Prior Environment Clearance for Area Development Projects at Nimanwasa & Kothimahal] Distt- & Ujjain (MP). Total area & 1194430 Sq-m (119-443 Ha.), out of which 1152810 Sq-m (115-281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land- Cat.- 8(b) Township and Area Development Projects."

उपरोक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को समिति द्वारा मान्य करते हुये चर्चा उपरांत पूर्व सेक की बैठक 744 वीं दिनांक 29–04–2024 द्वारा प्रकरण को टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ टॉर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए प्रतिवेदन में वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन एवं अतिरिक्त उपचारित अपशिष्ठ जल के निष्पादन हेतु नगर निगम भोपाल से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति का अनिवार्यतः समावेश किया जाये।
2. ईआईए प्रतिवेदन में परियोजना स्थल का contour map संलग्न करे। साथ ही प्रस्तावित drainage का विवरण भी दें ।
3. प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल एवं प्रजाति सहित पेड़ों की संख्या का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
4. परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।
5. वर्तमान की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
6. परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव का उल्लेख करें।

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट में स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचय की संभावना और संचय की मात्रा के संबंध में गणना प्रस्तुत करे।

8. भूकंप, आकाषीय बिजली एवं अग्निषमन के खतरों को ध्यान में रखकर परियोजना के अंतर्गत क्या व्यवस्था की जा रही है का विवरण दें।

9. निर्माण के दौरान खुदाई से निकाली जाने वाली मिट्टी की मात्रा एवं उसके प्रबंधन की क्या योजना है ईआईए प्रतिवेदन में विस्तृत विवरण दें।

10. प्रस्तावित STP का विवरण एवं उनकी स्थापना कहां की जायेगी एवं STP के बाद निकलने वाले उपचारित पानी की गुणवत्ता ((BOD, TSS, Faecal Coliform, T&N, T&P, ऑयल ग्रीस की मात्रा एवं pH) क्या रहेगी और इस उपचारित पानी का क्या उपयोग किया जायेगा का विवरण ईआईए प्रतिवेदन में दें।

11. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यानध्अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

12. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास /निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि (वेटलैण्ड) के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना में सम्मिलित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों (नदी/नालों/तालाब/वन भूमि आदि) के संबंध में समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन के साथ ही महाकाल ट्रस्ट के आधिपत्य संबंधित भूमि एवं निजी भू–स्वामित्वों संबंधित दस्ताावेजों का वैधानिक रूप से संबंधित विभागों/कार्यालयों से अनापत्ति प्राप्त किया जाना परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जाये । उक्त संबंधी दस्तावेजों में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होने पर परियोजना प्रस्तावक की स्वंय की जिम्मेदारी होगी ।

C. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में MoEF&CC, GoI द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के परिपालन में DEIAA पर्यावरण स्वीकृति के पुनः परीक्षण हेतु के समय–सीमा में निराकरण –

प्राधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार DEIAA पर्यावरण स्वीकृति के पुनः परीक्षण हेतु निर्धारित समय–सीमा 31.03.2025 के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि DEIAA पर्यावरण स्वीकृति के पुनः परीक्षण हेतु SEIAA एवं SEAC में प्रक्रियाधीन प्रकरणों को तथा भारत सरकार से हस्तांतरित आवेदनों का निर्धारित समय–सीमा दिनांक 31.03.2025 तक प्राथमिकता पर निराकरण किये जाने हेतु सदस्य सचिव, SEAC को सूचित किया जाये।

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

D. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पेटिशन क्रमांक 23216/2024 में प्राधिकरण के पंजीबद्व प्रकरण क्रं. 10464 एवं 10465 के संबंध में आदेशित कार्यवाही का परिपालन –

4. प्रकरण क्र. 10464/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लाल चक्रधर सिंह, पार्टनर, मेसर्स रामदास वर्मा एंड कंपनी, निवासी वार्ड नं. 29, 408/29, पांडे ताला, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा बॉक्साइट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बॉक्साइट–55238, वेस्ट–16812 टन प्रतिवर्ष, रकबा 16.187 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1746, ग्राम टीकर, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में खदान संचालन के अधिपत्य में संबंधित प्रकरण रिट पेटिशन क्रमांक 23216/2024 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 में निम्नानुसार निर्देशों के साथ प्रकरण को disposed of किया गया है

"The apprehension of the petition is that in the event of grant of Environmental Clearance, there may be a serious dispute in respect of competence of the parties to run the mines in questions.

In view of the aforesaid position, we deem it appropriate to direct to respondent No.2 to take note of pending representation filed by the petitioners and decide the same at the earliest, preferably within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order.

This order is being passed without any prejudice to the respondent No.2. Respondent No.2 would be at liberty to act in accordance with law"

चूँकि SEIAA–SEAC का कार्यकाल दिनांक 10.06.2024 को समाप्त हो गया था अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिपालन में Petitioner (श्री मानसिंह मैनेजिंग पार्टनर रामदाम वर्मा एंड कंपनी जिला रीवा) को नवीन SEIAA–SEAC समिति के गठन उपरांत अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्र. 1835 दिनांक 09.10.2024 द्वारा सूचित किया गया था।

इसी प्रकार उक्त प्रकरण में श्री कुंवर अभिषेक सिंह बघेल अध्यक्ष, नगर परिषद गोविन्दगढ़, जिला रीवा का शिकायत पत्र के 708 दिनांक 16.08.2024 (प्राधिकरण में प्राप्ति दिनांक 28.08.2024) प्राप्त हुआ है। प्राप्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के दृष्टिगत नियमानुसार परीक्षण करवाकर वास्तविक स्थिति में शिकायतकर्ता को अवगत कराने एवं प्राधिकरण को भी सूचित किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र क्र. 1857 दिनांक 12.11.2024 प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

I. **माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट पिटीशन क्र. 23216/2024 में पारित आदेश के परिपालन में Petitioner (श्री मानसिंह मैनेजिंग पार्टनर रामदाम वर्मा एंड कंपनी जिला रीवा) को प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया जाये।**

II. **इसी प्रकरण में प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक श्री लालचक्रधर सिंह पार्टनर मेसर्स रामदास वर्मा एण्ड कम्पनी को भी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर नोटराईज्ड शपथ**

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पत्र प्रस्तुत किया जाये कि उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है एवं फर्म के पार्टनरशिप के पंजीयन संबंधित मूल दस्तावेजों को भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

III. प्रकरण में श्री कुंवर अभिषेक सिंह बघेल, अध्यक्ष नगर परिषद गोविन्दगढ़ जिला रीवा के शिकायत पत्र दिनांक 16.08.2024 के संबंध में संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 1857 दिनांक 12.11.2024 के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है, अतः संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को स्मरण पत्र प्रेषित कर 15 दिवस की अवधि में जांच प्रतिवेदन प्राधिकरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु सूचित किया जाये।

उपरोक्तानुसार उभय पक्ष समस्त तथ्यात्मक जानकारी मय दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण के समक्ष पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में उपस्थित हो एव उक्त निर्णित कार्यवाही से सदस्य सचिव, SEAC को भी सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 10465/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लाल चक्रधर सिंह, पार्टनर, मेसर्स रामदास वर्मा एंड कंपनी, निवासी वार्ड नं. 29, 408/29, पांडे ताला, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा बॉक्साइट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बॉक्साइट–42,450, वेस्ट–12920 टन प्रतिवर्ष, रकबा 16.187 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1748, 1749, ग्राम टीकर, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में खदान संचालन के अधिपत्य में संबंधित प्रकरण रिट पेटिशन क्रमांक 23216/2024 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 में निम्नानुसार निर्देशों के साथ प्रकरण को disposed of किया गया है

"The apprehension of the petition is that in the event of grant of Environmental Clearance, there may be a serious dispute in respect of competence of the parties to run the mines in questions

In view of the aforesaid position, we deem it appropriate to direct to respondent No.2 to take note of pending representation filed by the petitioners and decide the same at the earliest, preferably within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order

This order is being passed without any prejudice to the respondent No.2 Respondent No.2 would be at liberty to act in accordance with law"

चूँकि SEIAA–SEAC का कार्यकाल दिनांक 10.06.2024 को समाप्त हो गया था अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिपालन में Petitioner (श्री मानसिंह मैनेजिंग पार्टनर रामदाम वर्मा एंड कंपनी जिला रीवा) को नवीन SEIAA–SEAC समिति के गठन उपरांत अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्र. 1835 दिनांक 09.10.2024 द्वारा सूचित किया गया था।

इसी प्रकार उक्त प्रकरण में श्री कुंवर अभिषेक सिंह बघेल अध्यक्ष, नगर परिषद गोविन्दगढ़, जिला रीवा का शिकायत पत्र के 708 दिनांक 16.08.2024 (प्राधिकरण में प्राप्ति दिनांक 28.08.2024) प्राप्त हुआ है। प्राप्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के दृष्टिगत नियमानुसार परीक्षण करवाकर वास्तविक स्थिति में शिकायतकर्ता को अवगत कराने एवं प्राधिकरण को भी सूचित किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र क्र. 1857 दिनांक 12.11.2024 प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

I. **माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट पिटीशन क्र. 23216/2024 में पारित आदेश के परिपालन में Petitioner (श्री मानसिंह मैनेजिंग पार्टनर रामदाम वर्मा एंड कंपनी जिला रीवा) को प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया जाये।**

II. **इसी प्रकरण में प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक श्री लालचक्रधर सिंह पार्टनर मेसर्स रामदास वर्मा एण्ड कम्पनी को भी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाये कि उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है एवं फर्म के पार्टनरशिप के पंजीयन संबंधित मूल दस्तावेजों को भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।**

III. **प्रकरण में श्री कुंवर अभिषेक सिंह बघेल, अध्यक्ष नगर परिषद गोविन्दगढ़ जिला रीवा के शिकायत पत्र दिनांक 16.08.2024 के संबंध में संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 1857 दिनांक 12.11.2024 के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है, अतः संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को स्मरण पत्र प्रेषित कर 15 दिवस की अवधि में जांच प्रतिवेदन प्राधिकरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु सूचित किया जाये।**

उपरोक्तानुसार उभय पक्ष समस्त तथ्यात्मक जानकारी मय दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण के समक्ष पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में उपस्थित हो एव उक्त निर्णित कार्यवाही से सदस्य सचिव, SEAC को भी सूचित किया जाये।

E. प्राधिकरण के प्रकरण क्रमांक 79/2008 में माननीय एनजीटी के अपील नं. 09/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2022 के अनुपालन बावत –

6. **Case No. 79/2008** Prior Environment Clearance for **Badari lime stonemine** 5.82 ha. village- Badari Vijayraghogarh,Distt. Katni (MP) by M/S ACC Limited, Kymore Cement Works, Kymore District –Katni (MP)

विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एनजीटी (सीजेड) के आदेश दिनांक 08.09.2022 के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड प्रकरण क्रमांक 79/2008 में वर्ष 2009 से 2018 तक बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के किये गये उत्खनन कार्यों से हुई पर्यावरण क्षति एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण दिनांक 23.02.2018 के उपरांत प्रस्तुत छमाही अनुपालन प्रतिवेदनों के आधार पर किये गये कार्यों का स्थल निरीक्षण करवाये जाने एव यदि पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों का उल्लघंन किया गया है तो पर्यावरणीय क्षति का आकलन किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को पत्र क्रं 1758 दिनांक 29. 09.2022 प्रेषित किया गया।

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उक्त आदेश के परिपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नानुसार सदस्य नामांकित किये गये :–

1. वैज्ञानिक–डी, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल।
2. वैज्ञानिक–ख, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

उक्त संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण में खनन क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर पर्यावरणीय क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन प्राधिकरण को दिनांक 26.09.2024 को ई–मेल के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार की गई कार्यवाही एवं अनुशंसा निम्नानुसार है :–

2. OBSERVATION OF COMMITTEE

It is evident from the documents furnished by the PP that communication with EC granting authority MP SEIAA regarding 2018 has not made any transfer of the EC till

The committee found that there is negligence at the end of PP about the EC transfer from concerned competent authority ie. SEIAA

As per the document available (IBM letter dated 22.09.2014, after mining plan approval), it is noted that the project proponent has started the mining activity at Badari Mine from 31.12.2014.

A punchnama prepared during the visit is enclosed as Anneure-9

It is observed that the 5.82 hectare mine is situated in between other mines (Approx 1561.874 ha) of ACC Kymore. The mining operation is being carried out for complete area considering as a whole with adjoining mines. The mining protocol for 5.82 ha mine (Le. Badari Mines) is similar to 1561.874 ha of other mines

The PP did not amalgated the smaller mines to the adjoining mines. The actual mining is being carried out in the Badari mines i.e. 5.82 ha and adjoining mines (Approx 1561.874 ha) also

It is also noted that the six monthly compliance reports submitted by the PP do not have complete information and reply/status for some conditions of EC.

5. Calculation of Environment compensation for the period 2009 to 2018:-

(a) As per the documents furnished it is noted that the project proponent had started the mining activity since 31.12.2014 in Badan Limestone Mine Therefore the committee decided to exclude the period from 2009 to 2014 for calculation of EC.

(b) The committee noted that M/s ACC Limited had done the mining activity in Badan Mine from the period of 31.12.2014 to 23.02.2018 without transferring the Environmental Clearance from M/s S.N Sunderson and Co to M/s ACC Limited

(c) The Project Proponent has provided the production details. The total production during 4 FYs was 65611.41 Tone during 15-2014,16-2015 , 17-2016 & 18-2017 The details are enclosed at Annexure-6

The Environmental compensation is based on the EC policy framed by the CPCB in compliance of order 31.08.2018 in O.A 593/2017

The Environmental Compensation is based on the following formula:

ECPI x Nx RSLF Where

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

EC is Environmental Compensation in

Pt Pollution Index of industrial sector

N = of days of violation took place

R - A factor in Rupees (₹) for EC

S = 1 Factor for scale of operation

LF = Location factor

The following values are considered for the Badari mine Pi = 80 for red category = (50000 MTA/300) (Consented Capacity 50,000 TPA Days of operation in year 300) Therefore, per day production in MT-50000/300-167 MTD

No the number of days are considered as 393

(Total Excavated mineral Qty is 65611.41 MT) Therefore total No of days of violation =65611.41 MT/167MTD-393 Days

R-250/-

S =1.0

LF = 1 as it is #LF will be 1.0 in case unit is located >10 km from municipal boundary LF is presumed as I for city/town having population less than one million

Environmental Compensation = 80 * 393 * 250 * 1.0 * 1.0

= 78 ,60,000/-

In words: Seventy Eight Lakhs Sixty Thousand rupees

(d) ***Alternatively*** *since during the period from 31.12.2014 to 23.02.2018 mining is done by the Project Proponent without having proper Environment Clearance(EC) in their name hence this whole period of 1151 days qualifies for the non Environment compensation (EC) may calculated as under*

Environmental Compensation = 80 deg * 1151 * 250 deg * 1 deg * 1 compliance period. Hence = 2,30,20,000/-

In words. Two Crores Thirty Lakhs Twenty Thousands rupees.

Based on above calculations competent authority (SEIAA) may take final decision.

प्रकरण में माननीय एनजीटी (सीजेड) **अपील क्रमांक 09/2024 में पारित** आदेश दिनांक 08.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा **मात्र वर्ष 2014 से 2018 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये गए उत्खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (राशि रु 78,60,000/- अथवा 2,30,20,000/-) अनुशंसित की गयी है।**

प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा उपरोक्तानुसार संयुक्त समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर, कटनी से मेसर्स ए.सीसी सीमेन्ट लि. द्वारा वर्ष 2009 से 2014 में पर्यावरण अनुमति के बगैर किये गए उत्खनन का नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकलन किये जाने तथा 100 प्रतिशत पेनल्टी अधिरोपित किए जाने हेतु स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा प्राधिकरण को प्रेषित किये जाने हेतु पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में माननीय एनजीटी (सीजेड) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किए जाने हेतु शासकीय अधिवक्ता से विधिक परामर्श भी प्राप्त किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमा माहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष